

पत्रांक 15/ए 2-01/2014 - 1644

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

एच0 आर0 श्रीनिवास,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 26/8/2014

विषय:- राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिए मानदेय के आधार पर अस्थायी रूप से अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या 1594 दिनांक 20.08.2014 निर्गत है। यह संकल्प सभी विश्वविद्यालयों को डाक के माध्यम से भेजा जा चुका है तथा विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड किया जा चुका है। राज्य के विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारू ढंग से सुनिश्चित करने हेतु उक्त संकल्प में वर्णित शर्तों के अधीन सहायक प्राचार्य पद की रिक्तियों के विरुद्ध संकल्प में प्रावधानित कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर अस्थायी रूप से अंशकालिक शिक्षकों की यथाशीघ्र नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वामाजन,

(एच0 आर0 श्रीनिवास)

सरकार के विशेष सचिव

26/8